



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 542]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2005/पौष 9, 1927

No. 542]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2005/PAUSA 9, 1927

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 754(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 616(अ) शुद्धिपत्र दिनांक 29 सितम्बर, 2005 [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2005] तथा भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 698(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2005 [सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2005], में "1 जनवरी, 2006", जहां भी छपा हो, के लिए "1 मार्च, 2006" प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पी-16012/1/2005-पीएच]

भवानी त्यागराजन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
CORRIGENDUM

New Delhi, the 30th December, 2005

G.S.R. 754(E).—In the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 616(E) Corrigendum dated 29th September, 2005, to the [Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Amendment) Rules, 2005], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary and in the notification of Government of India, Ministry of Health and Family Welfare No. G.S.R. 698(E), dated 30th November, 2005, [The Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment) Rules, 2005], published in Part II, Section 3, Sub-section (i) of the Gazette of India, Extraordinary, for the words "1st day of January, 2006" wherever they appear, the words "1st day of March, 2006" may be substituted.

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

BHAVANI THYAGARAJAN, Jt. Secy.